तत्काल

छत्तीसगढ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 2—134/सात—2/2013 रायपुर, दिनांक 23 अगस्त, 2013

प्रति,

आयुक्त,
रायपुर संभाग, रायपुर

2— कलेक्टर,
जिला दुर्ग, बालोद,बेमेतरा,राजनांदगांव , कबीरधाम
रायपुर, धमतरी, महासमुंद,गरियाबंद, बलौदाबाजार—भाटापारा
छत्तीसगढ़

विषयः— दुर्ग संभाग का गठन बावत ।

विषयान्तर्गत नवीन संभाग दुर्ग के गठन संबंधी प्रारंभिक सूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र(असाधारण) क्रमांक 370 दिनांक 22 अगस्त, 2013 की प्रति संलग्न है।

अतः निर्देशानुसार निवेदन है कि प्रस्तावित दुर्ग संभाग के गठन संबंधी प्रारंभिक सूचना का प्रकाशन संबंधित जिला कार्यालय,जिला पंचायत, अनुभाग, तहसील, जनपदपंचायत स्तर पर कराया जाये तथा पालन प्रतिवेदन शासन को भिजवाना सुनिश्चित करें ।

यदि निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति या दावा प्राप्त होता है तो अपने अभिमत सहित उसे भी शासन को प्रेषित करें ।

संलग्नः— राजपत्र प्रति

(वाय.पी.दुपारे)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 370] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 22 अगस्त 2013—श्रावण 31, शक 1935

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2013

सूचना

क्रमांक एफ 2-134/सात-2/2013.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उप-धारा (2) के परन्तुक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त संहिता की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, रायपुर संभाग की सीमाओं को परिवर्तित करने, नवीन संभाग दुर्ग निर्मित करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये रूप में उनकी सीमाओं को परिभाषित करने का प्रस्ताव करती है.

राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से साठ दिवस की समाप्ति पर, प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा तथा इसके संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव, लिखित में, सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, कक्ष क्रमांक एस-23, महानदी भवन, मंत्रालय, कैपिटल कॉम्पलेक्स, नया रायपुर, जिला रायपुर को उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व, अग्रेषित किये जा सकेंगे :-

अनुसूची

स. क्र. (1)	वर्तमान संभाग (2)	नव निर्मित संभाग (3)	नवीन संभाग में सम्मिलित जिले (4)
1.	रायपुर	दुर्ग	दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम.

Raipur the 22nd August, 2013

NOTICE

No. F 2-134/Seven-2/2013.— In pursuance of the provision contained in the proviso to sub-section (2) of Section 13 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), notice is hereby given that in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13 of the said code, the State Government proposes to alter the limits of Raipur Division, to create a new Durg Division and to define the limits thereof as specified in the Schedule below.

The proposal will be taken into consideration on the expiry of sixty days from the date of publication of this notice in the Official Gazette and any objections or suggestions in respect thereof may be forwarded, in writing to the Secretary, Department of Revenue and Disaster Management, Government of Chhattisgarh, Room No. S-23, Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Capitol Complex, Naya Raipur, District Raipur before the expiry of the said period :-

SCHEDULE

S. No.	Present Division	New Division Created	Districts included in the New Division
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Raipur	Durg	Durg, Balod, Bemetara, Rajnandgaon, Kabirdham.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव.